प्रेस नोट जनपद बिजनौर दिनांक–03.09.2020

थाना नहटौर पुलिस/स्वाट/आबकारी टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 08 अभियुक्तगण 80 पेटी अवैध शराब, दो फर्जी नम्बर प्लेट लगी गाडी, एक मोटर साईकिल व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार।

मु0अ0सं0–319/2020 **धारा–**420/468/471 भादवि0 व धारा 60/60क/63/72 आ0अ0
दिनांक घटना–02.09.2020 **समय–** 15:15 **बजे** **घटना स्थल–**गांगन नदी पुल
दिनांक गि0/ब0–02.09.2020 **समय–**17:30 बजे **गि0/ब0स्थल–**गागन नदी पुल

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः–

1–हरगोविन्द सिंह पुत्र नौबहार सिंह निवासी जमालपुर हीमपुर जनपद बिजनौर।
2–परमवीर पुत्र राजवीर निवासी जुलाना हरियाणा।
3–रवि पुत्र सत्यवीर निवासी तुम्बर थाना खाखला हरियाणा।
4–राकेश पुत्र धर्मवीर निवासी घासो खुर्द थाना उचाना जिन्द हरियाणा।
5–राकेश पुत्र वजीर सिंह निवासी मोहनगढ़ थाना उचाना हिन्द हरियाणा।
6–शेरसिंह पुत्र राजेन्द्र निवासी अमीनाबाद थाना नहटौर जनपद बिजनौर।
7–छोटे सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी मण्डोरी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
8–रजनीश पुत्र अरविन्द निवासी विशनपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण–

1–मारूति कार स्विफ्ट नम्बर डी0एल 05 सी 7271 (फर्जी)
2–आई0 20 कार नम्बर यूपी 32 एचके 8587 (फर्जी)
3–मोटर साईकिल अपाचे 180 सीसी नम्बर डीएल 8एस सीसी 1783

4–80 पेटी (कीमत करीब 05 लाख) अवैध देशी शराब (फाईटर का स्टिकर लगा है तथा मंसूरपुर डिस्टलेरी के लेविल जो असली से भिन्न है)
5–04 तमंचे 315 बोर मय 10 जिंदा कारतूस
6–10 अदद मोबाईल

पंजीकृत अभियोग का विवरण–

1–मु0अ0सं0–319/2020 धारा–420/468/471 भादवि0 व धारा 60/60क/63/72 आबकारी अधिनियम
2–मु0अ0सं0 320/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम राकेश पुत्र धर्मवीर
3–मु0अ0सं0 321/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम शेर सिंह
4–मु0अ0सं0 322/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम बनाम राकेश पुत्र वजीर
5–मु0अ0सं0 323/20 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम रजनीश

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनॉक 02.09.2020 को थाना नहटौर क्षेत्रान्तर्गत चैंकिग के दौरान मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम/आबकारी टीम/थाना नहटौर पुलिस द्वारा धामपुर–नहटौर मार्ग पर गांगन नदी पुल के पास बने टीन शैड से मारूति स्विफ्ट, आई 20, अपाचे मोटर साईकिल, 80 पेटी अवैध शराब, 04 तमंचे 315 बोर मय 10 जिंदा कारतूस व 10 अदद मोबाईल सहित उपरोक्त 08 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ में राकेश पुत्र धर्मवीर, राजेश पुत्र वजीर सिंह, परमवीर पुत्र राजवीर सिंह व रवि पुत्र सत्यवीर सिंह द्वारा बताया कि हम लोग पानीपत हरियाणा से अवैध शराब खरीदकर यूपी में रजनीश पुत्र अरविन्द, छोटे पुत्र श्याम सिंह, शेर सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह व हरगोविन्द पुत्र नौबहार के माध्यम से लोगो के बेचते है और कमाई का हिस्सा गाडी चालकों भी देते है। लगभग 6–7 माह से हम यह काम कर रहे है।

ढक्कनों पर लगे क्यूआर कोड को आबकारी निरीक्षक द्वारा चैक किया गया जो नकली पाये गये। शराब की तीव्रता 42.8 के स्थान पर 32 प्रतिशत पायी गयी। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा देशी शराब फाईटर ब्राण्ड की हूबहू नकल के लेवल लगे पव्वे व क्यूआर कोड तैयार कर उनमें अवैध शराब भरकर धोखे से यूपी मे लाकर बेची जाती है और राजस्व को भारी नुकसान पहुँचाया जाता है।

पकडी गयी दोनो गाडियों को चेक किया गया तो स्विफ्ट गाडी के आगे डीएल 5 सी 7271 व पीछे एचआर 83 8966 की नम्बर प्लेट लगी है और आई–20 गाडी पर आगे यूपी 32 एचके 8587 तथा पीछे एचआर 90 3134 की नम्बर प्लेट लगी है। उपरोक्त संबंध में थाना नहटौर पर मु0अ0सं0–319/2020 धारा–420/468/471 भादवि0 व धारा 60/60क/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण–

थाना नहटौर– 1–उ0नि0 श्री आशीष कुमार 2–उ0नि0 श्री जयवीर सिंह मान 3–कां0 150 जफरूद्दीन 4–कां0 301 शमशेर 5–कां0 107 दिनेश चाहल थाना नहटौर

स्वाट/सर्विलांस टीम– 1–उ0नि0 श्री मनोज परमार (प्रभारी) 2–उ0नि0 श्री हिमांशु चौहान 3–कां0 1002 खालिद 4–कां0 952 विकास बैसला 5–कां0 430 सचिन मलिक 6–कां0 225 अरूण कुमार 7–कां0 941 बेताब जावला 8–कां0 891 सुनित कुमार 9–कां0 799 मनोज 10–कां0 1225 राजकुमार नागर 11–कां0 1326 मोहित शर्मा 12–कां0 चालक कपिल कुमार 13–कां0 चालक विशेक

आबकारी टीम– 1–निरीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह 2–मुख्य आरक्षी सुरेन्द्र सिंह (धामपुर क्षेत्र)

नोट– टीम के उत्साावर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा 10,000/ रूपये के नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया गया।

थाना मण्डावली पुलिस द्वारा 200 लीटर अवैध शराब, 05 किलो यूरिया, शराब बनाने के उपकरण व अवैध तमन्चा मय कारतूस सहित 02 अभि0 गिरफ्तार।

आज दिनॉक 03.09.2020 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर जंगल ग्राम बूढ़ा से 02 अभि0गण 1–महेन्द्र, 2– सुखदेव को 200 लीटर अवैध शराब, 05 किलो यूरिया तथा शराब बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 171/20 धारा 60/60 (2) आबकारी अधि0 व धारा 272 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जामा तलाशी में अभि0 महेन्द्र के कब्जे से 01 तमन्चा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा बरामद हुआ जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डावली पर मु0अ0सं0 172/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 बनाम महेन्द्र उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पता:–

1–महेन्द्र सिंह पुत्र लेखा निवासी ग्राम गुलालवाड़ी उर्फ सीतावाड़ी थाना मण्डावली बिजनौर।

2–सुखदेव पुत्र महेन्द्र निवासी गुलालवाड़ी उर्फ सीतावाड़ी थाना मण्डावली जनपद बिजनौर।

बरामदगी:–

1– 200 लीटर अवैध कच्ची शराब

2– 05 किलो यूरिया

3– शराब बनाने के उपकरण

4– 01 तमन्चा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस

थाना अफजलगढ– आज दिनांक 03.9.2020 को मु0 अ0 सं0 244/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त फईम पुत्र लतीफ निवासी ग्राम माननीयवाला व मु0अ0सं0 245/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त नदीम पुत्र शफीक निवासी ग्राम मेघपुर थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना अफजलगढ– आज दिनांक 03.09.2020 मु0.अ0.सं0 241/2020 धारा–4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0–242/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित अभियुक्त पप्पू पुत्र थानी सिंह निवासी ग्राम–सिरवासुचंद्र थाना अफजलगढ़, जनपद बिजनौर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना किरतपुर– आज दिनांक 03.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1–प्रिंस कुमार पुत्र मूला सिंह 2–निक्की पुत्र मूला सिंह निवासी गांव छीतावर थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर को धारा 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।

थाना मण्डावर:– आज दिनॉक 03.09.2020 को थाना मण्डावर पुलिस द्वारा अभि0 सोनू पुत्र सीताराम निवासी मौ0 संभाबाजार कस्बा व थाना मण्डावरज जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना मण्डावर पर मु0अ0सं0 205/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

थाना स्योहारा:– आज दिनॉक 03.09.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभि0 भीष्म पुत्र सोमपाल निवासी राजीपुर उर्फ रसूलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 442/20 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।